

**कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-13**  
**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**

क्रमांक: 90A/JDA/2025-26/100449

दिनांक: 15/05/2026

**लोक सूचना**

श्री DR K S RANA पुत्र श्री DR NARENDRA SINGH RANA जाति JAT निवासी DHOLPUR HOUSE, AGRA (UTTAR PRADESH)

श्री LORD KRISHNA FARM TECH PVT LTD AS DIRECTOR DR K S RANA पुत्र श्री DR NARENDRA SINGH RANA जाति JAT निवासी 18, DHOLPUR HOUSE, AGRA (UTTAR PRADESH)

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का फार्म हाउस प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	निर्मित क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	कूकस, आमेर (जयपुर)	1.) डॉके एस राणा पुत्र डॉनरेन्द्रसिंह राणा हिस्सा 3/8 जाति जाट नि.धोलपुर हाउस आगरा खातेदार 2.) लॉर्ड कृष्णा फार्मटेक प्राइवेट लिमिटेड हिस्सा 5/8 पंजीकृत कार्यालय 18 धौलपुर हाउस आगरा उत्तर प्रदेश खातेदार	172/1	0.110000	0.11
2.	कूकस, आमेर (जयपुर)	1.) डॉके एस राणा पुत्र डॉनरेन्द्रसिंह राणा हिस्सा 3/8 जाति जाट नि.धोलपुर हाउस आगरा खातेदार 2.) लॉर्ड कृष्णा फार्मटेक प्राइवेट लिमिटेड हिस्सा 5/8 पंजीकृत कार्यालय 18 धौलपुर हाउस आगरा उत्तर प्रदेश खातेदार	173/2296	0.050000	0.05
3.	कूकस, आमेर (जयपुर)	1.) केएस राणा पुत्र श्रीनरेन्द्रसिंहराणा	173/2533	0.290000	0.29

		हिस्सा 36 / 49 जाति जाट धोलपुर हाऊस आगरा रोड खातेदार 2.) लॉर्ड कृष्णा फर्म टेक प्रा.लि.जरिये डायरेक्टर डा.के एस राणा नि. धोलपुर हाऊस आगरा हिस्सा 13 / 49 नि. धोलपुर हाऊस आगरा रोड संस्था के लिए			
4.	कूकस, आमेर (जयपुर)	1.) केएस राणा पुत्र श्रीनरेन्द्रसिंहराणा हिस्सा 36 / 49 जाति जाट धोलपुर हाऊस आगरा रोड खातेदार 2.) लॉर्ड कृष्णा फर्म टेक प्रा.लि.जरिये डायरेक्टर डा.के एस राणा नि. धोलपुर हाऊस आगरा हिस्सा 13 / 49 नि. धोलपुर हाऊस आगरा रोड संस्था के लिए	174/2535	0.060000	0.06
<b>कुल</b>					<b>0.51</b>

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी **SSO ID** से लॉग इन कर **JDA** के **90-A** मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर "**विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें**" Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं ।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा ।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **15-05-2026** को जारी की गयी ।

Newspaper name (as per roster)  
DAINIK BHASKAR & SAMACHAR JAGAT (Morning)

प्राधिकृत अधिकारी जोन-13  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

